न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 04 / 24 वर्ष 2024

जीसीएम संख्या :–2024 / 27

बउनवानी:– 1. रमेश चन्द पुत्र स्व0 श्री पुरूषोत्तम ब्राहामण नि0 कुण्डेरा तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र लड्डू लाल महाजन निवासी कुण्डेरा तह0 सवाईमाधोपुर
2. ग्राम पंचायत कुण्डेरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डेरा तह0 स0मा0

(निगरानी विरूद्व मिसल संख्या 32 मे जारी पटटा संख्या 44 दिनांक 2011.2006 (28.11.2006) ग्राम पंचायत कुण्डेरा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थित:–1. श्री रमेश चन्द गोयल वकील प्रार्थी

2. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक :– 24.12.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत कुण्डेरा द्वारा मिसल संख्या 32 मे जारी पटटा संख्या 44 दिनांक 20.11.2006 (28.11.2006) के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित निर्णय/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश एवं पटटा रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं नियमों के विपरीत एवं विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि पटटा प्राप्त करने से पूर्व प्रार्थना पत्र पेश करना होता है तथा प्रार्थना पत्र मे सीमाऐ व नाप तथा कब्जा कब से किस प्रकार है दर्शित करना होता है। ग्राम पंचायत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद ग्राम पंचायत को अपने रजिस्टर में दर्ज करने के बाद सार्वजनिक नोटिस व विवादित भूखण्ड में एक माह का आपत्ति नोटिस चस्पा करना होता है उक्त प्रकरण मे प्रार्थना पत्र रजिस्टर में दर्ज नही किया है और ना ही एक माह का विधिवत नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी संख्या 1 ने न तो उक्त भूखण्ड की सीमाऐ बतायी है ओर ना ही ग्राम पंचायत के रजिस्टर में प्रार्थना पत्र दर्ज किया है तथा ना ही कब्जा कितने वर्षो से है दर्शित किया है उक्त भूखड पर पूर्व में क्या कच्चा निर्माण था यह भी नही दिखाया है इसलिए ग्राम पंचायत ने नियमों की अवहेलना कर पटटा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत कुण्डेरा को नेगोशिऐशन से पटटा जारी करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत खुले आक्शन से ही पटटा जारी कर सकती है तथा 150 वर्ग फुट का पटटा फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब व्यक्ति जिसके पास रहने की छत नही है को ही दे सकती है जबकि इस मामले में प्रार्थी ने मिली भगत कर 428.6 वर्ग फीट सडक के किनारे वाली लाखो रूपये कीमत की भूमि का पटटा जारी किया है जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व की हानी हुई है। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूखण्ड के पास प्रार्थी का रिहायशी चार दीवारी मय लेटबॉथ, गेट, बाडा है इसलिए अप्रार्थी ने मौके की वास्तविक नाप को छिपाकर पटटा प्राप्त किया है तथा उक्त पटटे पर ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर भी नही है। इस प्रकार उक्त पटटा कपटपूर्वक वास्तविक नाप को छिपाकर कर रास्ते एवं चबूतरे की भूमि का जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में सरपंच, एवं ग्रामविकास अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त नक्शा एवं तहसील कार्यालय से आरटीआई के तहत प्राप्त नजरी नक्शा ग्राम कुण्डेरा भाग संख्या 132 ब्लॉक संख्या 3 एवं न्यायिक दृष्टान्त 2015(2) DNJ (Raj.) page 595-99, DNJ(Raj.)1995 Page 458-59 , DNJ(Raj.)1999 Page 672-74 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी सवाईमाधोपुर रहता है दिनांक 3.1.2024 को अपनी जायदाद सम्भालने अपने गांव कुण्डेरा गया तो विवादित भूखण्ड पर मकान का निर्माण हुआ पाया जाने पर प्रार्थी द्वारा मालूम करने करने पर उक्त भूखण्ड का पटटा अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में बनाया जाना बताया जाने पटटे की नकल प्राप्त कर निगरानी जानकारी से अन्दर मयाद पेश की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(निगरानी संख्या 04/2024 उनवानी रमेश चन्द बनाम ओमप्रकाश वगै.)

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। क्योकि विवादित पटटा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमे 5 वर्षो से कुण्डरा में रहना एवं भूखण्ड रामपति से क्रय करना बताया गया है उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 5.8.2006 को दर्ज किया जाकर मौका रिपोर्ट हेतु वार्ड पंचो की कमेटी बनायी जाकर दिनांक 20.9.2006 को कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर कमेटी से विचार विमर्श कर आपत्ति नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 6.11.2006 को कोरम के समक्ष पेश की गयी किसी भी पडौसी या अन्य व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर तीन गवाह एवं अपने स्वामित्व संबंधी प्रमाण पेश करने बाबत प्रार्थी को कहने पर उसके द्वारा उक्त भूखण्ड रामपति बेवा पुरूषोत्तम महाजन से क्रय किये गये भूखण्ड साईज 28X16.6=462 वर्ग फीट की रजिस्ट्री पेश की जाने पर दिनांक 27.11.2006 को कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 पर सर्वसम्मति से प्रार्थी को 51.53 वर्ग गर्ज का पटटा जारी करने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 27.11.2006 को कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 पर सर्वसम्मति से प्रार्थी को पटटा जारी करने का निर्णय लिया गया जाकर दिनांक 28.11.2006 को पटटा जारी किया है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि उक्त पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत सम्पादित की गयी है तथा निर्धारित शुल्क 20/–रू प्रति गज़ के हिसाब से 47.05 गज की 941/–रू पटटा शुल्क 100/–रू, दरवाजा शुल्क 20/–रू सहित कुल राशि 1062/–रू जमा कर पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि उक्त पटटा रास्ते एवं चबूतरे की भूमि का जारी किया गया है क्योकि वर्तमान मे मौके पर रास्ता चालू है तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस प्रकरण पर लागू नही होते है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की ओर से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व सारी कार्यवाही यथा पंचायत मे प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज किया जाना, मौका निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया जाना, उसके बाद कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करना, आपत्ति नोटिस की मयाद समाप्त होने तक किसी पडौसी या व्यक्ति की आपत्ति प्राप्त नही होने पर निर्धारित शुल्क 20/–रू प्रति गज के हिसाब से 47.05 वर्ग गज की 941/–रू पटटा शुल्क 100/–रू,दरवाजा शुल्क 20/–रू सहित कुल राशि 1062/–रू जमा कर अप्रार्थी को अपने क्रयशुद्धा भूखण्ड साईज 28X16.6=462-11x3.6=39.6=423.5 वर्ग फीट अर्थात 47.05 वर्ग गज का पटटा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा पंचायत नियम 167 के तहत जारी किया गया है ओर नियम 167(2) के तहत पटटे पर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होना आवश्यक है किन्तु आदेश जैर निगरानी पटटा संख्या 44 पर केवल सरपंच के ही हस्ताक्षर है सचिव के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार पटटा संख्या 44 पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर नही होने से विधिसम्मत नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner